



Reader
12/8/21

1. सुवालाल पुत्र हा
2. सोहनलाल
3. ...

21.1.22

पत्रावली पेश हुई। राज्य सरकार/राजस्व मण्डल के द्वारा
 कोरोना महामारी दिशा निर्देश जारी होने पर पत्रावली गत
 आदेशानुसार दिनांक 16/3/22 को पेश हो।
 ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
 नवलगढ़

16/3/22

पत्रावली पेश हुई। वकील आर्बेदु उपस्थित।
 वकील आर्बेदु ने अटॉर्नी अध्याई निवेदन
 आदेश में 039 23 42 की पालना सुनिश्चित
 नहीं की। अतः न्यायालय आदेश दिनांक 12/8/21
 को अटॉर्नी अध्याई निवेदन वेंडेटा/खासि
 किया जाता है। पत्रावली वास्तव तथ्य दिनांक 31/3/22
 को पेश है।
 ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
 नवलगढ़

31/3/22

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महादय
 सर/अध्यायालय/अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली
 आदेश दिनांक 31/3/22 को पेश हो

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
 नवलगढ़

31/3/22

नोट-अंत
 [Signature]

पत्रावली पेश हुई। वकील आर्बेदु ने अटॉर्नी
 भूल को note press कर द्वारा नहीं चलाने का
 निवेदन किया। अतः आर्बेदु हाथियन्ता के
 मोटोरेस के आवार पर एन-एच भूल हली
 अंतर पर खासि किया जाता है। पत्रावली
 फेसल सुमार हीतर की नमतर से कम हो
 तथा वाद लक्ष्मील जाचा दाखिल दफ्तर हो।
 निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
 नवलगढ़

1205 नवलगढ़ नगर के न्याय मण्डल